



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मंडल
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
पत्रालय- डी०एल०डब्ल्यू० वाराणसी।

CIN-U31200UP2003SGC027461

Email ID - dgmedcvns@gmail.com

Phone No. -0542-2316575/Fax No.-0542-2300137

पत्रांक : 1748 / वि०वि०मं०(वा०) /

दिनांक : 3/4 /2017

विषय : आराजी सं० 245 पी, 247 पी, 258 पी, 304 पी, 305 पी, 306 पी, 301, 303 मौजा लुच्चेपुर, परगना-अठगावा, वाराणसी में प्रस्तावित मानचित्र के सम्बन्ध में।

अधिशाली अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 25/16/वि०प्रा०/विधास/2016-17 दिनांक 21.12.16 को संदर्भित करने का कष्ट करें।

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी के कार्यालय पत्र संख्या 1404/वि०वि०ख०प्रा०(वा०) दिनांक 25.03.17 द्वारा प्रेषित स्थलीय जाँच रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी सं० 245 पी, 247 पी, 258 पी, 304 पी, 305 पी, 306 पी, 301, 303 मौजा लुच्चेपुर, परगना-अठगावा, वाराणसी पर अनापत्ति पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ जारी किया जाता है कि-

1. भवन निर्माण के समय अस्थाई संयोजन लेना अनिवार्य है।
 2. भवन निर्माण करते समय विद्युत के तार पोल को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी, क्षति होने पर पूर्ण जिम्मेदारी भवन निर्माणकर्ता की होगी।
 3. एकल बिन्दु पर मीटर लगाया जायेगा एवं समुचित सीमा के भीतर प्रवेश के नजदीक मीटर के लिए समुचित आकार एवं उचित वातायुक्त मीटर के कक्ष का निर्माण बाहर से पहुँच योग्य कराना पड़ेगा।
 4. यदि बहुमंजिली इमारत है तो आवश्यकतानुसार 33/11के०वी० विद्युत उपकेन्द्र अथवा 11/4 के०वी विद्युत उपकेन्द्र व्यक्तिगत स्वामी के परिसर के भीतर उसके व्यय पर वितरण नेटवर्क के लिए नियत सम्पूर्ण धनराशि जमा करना पड़ेगा।
- वर्तमान में भूखण्ड के पास कोई लाइन एवं केबिल नहीं है, जिससे निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
अतः उक्त शर्तों के अनुपालन के साथ मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

(विकास कपूर)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक : 1748 / वि०वि०मं०(वा०) / तददिनांक: / /2017

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (वितरण), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विकास कपूर)
अधीक्षण अभियन्ता